## TO BE PUBLISHED IN THE CAZZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (II) DATED THE 18 Sept., 1999

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

New Delhi, dated the OSept, 1999

## NOTIFICATION

S.O. (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee hereby amends the notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 193(E) dated 14th March, 1996, as follows, namely:-

In the said notification, in the table against serial number 8 relating to Nootan Bharati, in column (3) relating to name of the project or scheme and estimated cost thereof, the following shall be added at the end, namely:-

"(7) Prepration of Website, preparation of Floppy Disk and Publication of books."

//////w/ ( POMELA B. PRASAD) Director(NC)

No. 16066

F.No. NC-91/99

## भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II खण्ड 3, उपखण्ड (II) में दिनांक. ७ .सीत्रज़र, 1999 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक।०० मितः, 1999

## अधिसूचना

सां0 आ0..... (अ0 ) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) के दिनांक 14 मार्च,1996 के सां0 आ0 193 (अ0 ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में नूतन भारती से संबंधित क्रम सं0 8 पर की परियोजना अथवा स्कीम के नाम तथा उनकी अनुमानित लागत से संबंधित स्तम्भ (3) में अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा। नामतः- "7 वेबसाईट का निर्माण, पत्लापी डिस्क का निर्माण तथा पुस्तकों का प्रकाशन। "

प्रीप्री (पोमिला बीo प्रसाद ) निदेशक (रा०स० )

सं0 /(०६-६ फा0 सं0 एन0सी0-91/99